रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2004/चैत्र 17, 1926
No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2004/CHAITRA 17, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2004

का.आ. 466(अ).—जबकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) 18 दिसम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ;

और जबकि उक्त अधिनियम के अध्याय-।।। के तहत प्रतिभूत ऋणदाता या उसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) में उल्लिखित किसी उपाय से व्यथित व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के तहत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित इस मामले में क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अधिकरण में अपील कर सकता है ;

और जबकि उक्त धारा 17 की उप-धारा (3) में निहित उपबंधों में यह प्रावधान किया गया है कि ऋण वसूली अधिकरण उक्त अधिनियिम से उदभूत अपील का निपटान, यथा संभव, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अनुसार करेगा ;

और जबकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत बनाए गये ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 की धारा 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 19 में, अधिनियम के तहत ऋण वसूली अधिकरण को आवेदन पत्र देने के प्रयोजन से शुल्क का उल्लेख किया गया है ;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत ऋण वसूली अधिकरण द्वारा दिए गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत उल्लिखित इस मामले में क्षेत्राधिकार वाले ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (जिसे इसके बाद अपीलीय अधिकरण कहा गया है) में अपील कर सकता है ;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में निहित उपबंधों में यह प्रावधान किया गया है कि अपीलीय अधिकरण उक्त अधिनियिम से उदभूत अपील का निपटान, यथा संभव बैंकों वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

और जबकि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत बनाए गये ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 में, अपीलीय अधिकरण में अपील दायर करने के प्रयोजन के लिए शुल्क का उल्लेख किया गया है ;

और जबकि शुल्क उगाहने के लिए अभिव्यक्त उपबंधों के अभाव में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित ऋण वसूली अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण में उक्त अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के तहत अपील दायर करने के लिए शुल्क उगाहने के मामले में कठिनाईयां उत्पन्न हुई है ।

अतः , अब उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के तहत अपील दायर करने के लिए शुल्क उगाहने हेतु उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, जो अधिनियम के उपबंधों के अनसंगत होने के कारण, नामतः

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :**

(i) इस आदेश को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2004 कहा जाए ।

(ii) ये तत्काल लागू होंगे ।

2. **परिभाषा :** ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 से अभिप्राय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 9 के तहत बनाए गए ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 से है ।

3. **ऋण वसूली अधिकरण में एक अपील दायर करने के लिए शुल्क :** वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत ऋण वसूली अधिकरण में अपील दायर करने के लिए शुल्क ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 7 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन दर्ज करने के लिए यथा उपलब्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित होगा ।

4. **ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में एक अपील दायर करने के लिए शुल्क** : वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में अपील दायर करने के लिए शुल्क ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 8 के अंतर्गत ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में अपील दायर करने के लिए यथा उपलब्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित होगा ।

[फा. सं. 4/1/2004-बी.ओ.-I]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 6th April, 2004

S.O. 466(E).—Whereas the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Sec. ...st Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as the said Act came into force on the 18th day o. ...nber, 2002;

And wh... as any person (including borrower), aggrieved by any of the measures referred to in sub-section (4) of section 13 of the said Act taken by the secured creditor or his authorised officer under Chapter III of the said Act, may prefer an appeal under sub-section (1) of section 17 of the said Act to the Debts Recovery Tribunal established under sub-section (1) of section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 having jurisdiction in the matter;

And whereas the provisions contained in sub-section (3) of section 17 of the said Act provides that the Debts Recovery Tribunal shall, as far as may be, dispose of an appeal arising with the said Act in accordance with the provisions of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) and rules made thereunder;

And whereas section 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, read with rule 7 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 made under that Act, specifies the fee for the purpose of filing an application to the Debts Recovery Tribunal under the Act;

And whereas any person (including borrower), aggrieved by any order made by the Debts Recovery Tribunal under sub-section (3) of section 17 of the said Act may prefer an appeal under sub-section (1) of section 18 of the said Act to the Debts Recovery Appellate Tribunal referred to under sub-section (1) of section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (hereinafter referred to as the Appellate Tribunal) having jurisdiction in the matter;

And whereas the provisions contained in sub-section (2) of section 18 of the said Act provides that the Appellate Tribunal shall, as far as may be, dispose of an appeal arising with the said Act in accordance with the provisions of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and rules made thereunder;

And whereas section 20 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, read with rule 8 of the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1994 made under that Act, specifies the fee for the purpose of filing of an appeal to the Appellate Tribunal;

And whereas in the absence of express provisions to levy fees, difficulties have arisen in the matter of levying of fees for filing of appeals under section 17 and 18 of the said Act to the Debts Recovery Tribunal and the Appellate Tribunal established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order to make the provisions for levying of the fee for filing of appeals under sections 17 and 18 of the said Act, being not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulty, namely:-

1. Short title and commencement.-

(i) This Order may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Removal of Difficulties) Order, 2004.

(ii) It shall come into force at once.

2. Definition.- Debts Recovery Tribunal (Procedure)Rules, 1993 means the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 made under section 9 read with clause (e) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

3. Fee for filing of an appeal to Debts Recovery Tribunal.- The fee for filing of an appeal to the Debts Recovery Tribunal under sub-section (1) of section 17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 shall be mutatis mutandis as provided for filing of an application to the Debts Recovery Tribunal under rule 7 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

4. Fee for filing of an appeal to Debts Recovery Appellate Tribunal.- The fee for filing of an appeal to the Debts Recovery Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 shall be mutatis mutandis as provided for filing of an appeal to the Debts Recovery Appellate Tribunal under rule 8 of the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1994.

[F. No. 4/1/2004-BO-I]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.